| | राजस्थान राज–पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | पौष 6, गुरुवार, शाके 1940–दिसम्बर 27, 2018<br>*Pausa 6, Thursday, Saka 1940–December 27, 2018* | |

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**कार्मिक विभाग**

(क–ग्रुप–II)

अधिसूचना

**जयपुर, दिसम्बर 27, 2018**

**जी.एस.आर.93** :–राजस्थान के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 10 का संशोधन**:– राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में,–

(i) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अन्य पिछड़े वर्गों," के पश्चात् और अभिव्यक्ति "निःशक्त व्यक्तियों" से पूर्व अभिव्यक्ति "अति पिछड़े वर्गों," अन्तःस्थापित की जायेगी ;

(ii) उप–नियम (4) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "." के स्थान पर विरामचिह्न "।" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप–नियम (4) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक से पूर्व

निम्नलिखित नया उप-नियम (5) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) अति पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 के अनुसार 1% होगा। भर्ती के किसी वर्ष-विशेष में अति पिछड़े वर्गों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा:"

[संख्या एफ.1(3)डीओपी/ए-II/2010]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
ह. अपाठ्य,
संयुक्त शासन सचिव।

## DEPARTMENT OF PERSONNEL
**(A-Gr.-II)**
NOTIFICATION
**Jaipur, December 27, 2018**

**G.S.R.93** .-In exercise of the powers conferred by Articles 233 and 234 read with proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Rajasthan, in consultation with the Rajasthan Public Service Commission and the High Court of Judicature for Rajasthan, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Judicial Service Rules, 2010, namely:-

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Judicial Service (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 10.**- In rule 10 of the Rajasthan Judicial Service Rules, 2010,-

(i) in title, after the existing expression "Other Backward Classes," and before the existing

expression "Persons with Disabilities", the expression "More Backward Classes," shall be inserted;

(ii) in sub-rule (4), for the existing punctuation mark ":", appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted; and

(iii) after the existing sub-rule (4), so amended and before the existing proviso, the following new sub-rule (5) shall be inserted, namely:-

"(5) Reservation of posts for More Backward Classes shall be 1% in terms of the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and posts in Service under the State) Act, 2017, as amended from time to time. In the event of non availability of eligible and suitable candidates amongst More Backward Classes in a particular year of recruitment the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure:"

**[No. F1(3)DOP/A-II/2010]**
**By Order and in the name of the Governor,**
ह. अपाठ्य,
**Joint Secretary to the Government.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**

| | राजस्थान राज–पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | पौष 6, गुरुवार, शाके 1940–दिसम्बर 27, 2018<br>*Pausa 6, Thursday, Saka 1940–December 27, 2018* | |

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**कार्मिक विभाग**

**(क–ग्रुप–II)**

अधिसूचना

**जयपुर, दिसम्बर 27, 2018**

**जी.एस.आर.92** :–राजस्थान के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 12 का संशोधनः**– राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 12 के खण्ड (ङ) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नये परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् :–

"परन्तुक यह भी कि किसी अभ्यर्थी की कुल संतानों की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा और निशक्तता से ग्रस्त हो :

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया हो जो किसी विधि के विरूद्ध न हो और ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस

उप-नियम के अधीन वह निरर्हित नहीं है तो यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव से किसी संतान का जन्म होता है तो वह निरर्हित नहीं होगा।"

**2. नियम 17 का संशोधन:-** उक्त नियमों के नियम 17 में, -

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "23 वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "21 वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "35 वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "40 वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iii) विद्यमान परन्तुक (ii) हटाया जायेगा ;

(iv) विद्यमान परन्तुक (v) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक (vi) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(vi) बेंचमार्क निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा निम्नानुसार शिथिल की जायेगी,-

(क) सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष ;

(ख) पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष;" और

(v) इस प्रकार जोड़े गये परन्तुक (vi) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: आयु में शिथिलता उपर्युक्त परन्तुक में वर्णित केवल एक प्रवर्ग में ही अनुज्ञेय होगी।"

[संख्या एफ.1(3)डीओपी/ए-II/2010]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
ह. अपाठ्य,
संयुक्त शासन सचिव।

**DEPARTMENT OF PERSONNEL**
**(A-GR.-II)**
NOTIFICATION
**Jaipur, December 27, 2018**

**G.S.R.92** -In exercise of the powers conferred by Articles 233 and 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the

Governor of Rajasthan, in consultation with the Rajasthan Public Service Commission and the High Court of Judicature for Rajasthan, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Judicial Service Rules, 2010, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Judicial Service (Amendment) Rules, 2018. (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of rule 12.-** After the existing second proviso to clause (e) of rule 12 of the Rajasthan Judicial Service Rules, 2010, hereinafter referred to as the said rules, the following new provisos shall be added, namely:-

"Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage."

**3. Amendment of rule 17.-** In rule 17 of the said rules,-

(i) for the existing expression "23 years", the expression "21 years" shall be substituted;

(ii) for the existing expression "35 years", the expression "40 years" shall be substituted;

(iii) the existing proviso (ii) shall be deleted;

(iv) after the existing proviso (v), the following new proviso (vi) shall be added, namely:-

"(vi) the upper age limit mentioned above shall be relaxed for persons with benchmark disabilities by,-

(a) 10 years for candidates belonging to General Category;

(b) 13 years for candidates belonging to Backward Classes and More Backward Classes; and

(c) 15 years for candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes"; and

(v) after the proviso (vi) so added the following explanation shall be added, namely:-

"Explanation: The relaxation in age will be admissible only in one category, mentioned in the proviso above."

**[No.F.1(3)DOP/A-II/2010]**
**By Order and in the name of the Governor,**
ह. अपाठ्य,
**Joint Secretary to the Government.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**